

वोटर ID नहीं है? फरि भी इन 11 डॉक्युमेंट्स से डालें अपना वोट!

वषिय सूची (Table of Contents):

- >> बहिर चुनाव बनिा वोटर आईडी कार्ड के भी डाल सकते हैं वोट, चुनाव आयोग ने दी बड़ी ...
- >> मतदान के लिए सबसे पहली शर्त वोटर लसिट में नाम होना क्यों है जरूरी?...
- >> वोटर लसिट का महत्व और आपका अधिकार...
- >> वोटर आईडी नहीं है तो पास रखें ये 11 वैकल्पकि डॉक्युमेंट्स (Alternative Documents...)
- >> इन 11 दस्तावेजों की मदद से कर सकते हैं मतदान ...
- >> आधार, पैन और ड्राइवगि लाइसेंस जानिए कौन-कौन से सरकारी पहचान पत्र हैं मान्य...
- >> दस्तावेजों से जुडी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी...
- >> वोटर कार्ड में नाम या पते की गलती है? तो भी नहीं रुकेगा आपका मतदान...
- >> पहचान स्पष्ट होना है मुख्य उद्देश्य...
- >> ऑनलाइन कैसे चेक करें वोटर लसिट में अपना नाम? बेहद आसान है तरीका...
- >> मतदाता सूची में नाम खोजने का आसान तरीका ...
- >> डिजिटल वोटर आईडी (e-EPIC) डाउनलोड करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस...
- >> e-EPIC डाउनलोड करने की चरणबद्ध वधि...
- >> नषिकर्ष...
- >> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)...

बहिर चुनाव: बनिा वोटर आईडी कार्ड के भी डाल सकते हैं वोट, चु

बहिर वधिनसभा चुनाव के तहत मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में कई मतदाताओं के मन में यह सवाल उठता है कियदि उनका वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) खो गया है या कसिी कारणवश अभी तक नहीं बन पाया है, तो क्या वे अपने मताधिकार का उपयोग कर पाएंगे? चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने इस संबंध में आम जनता को एक बहुत बड़ी राहत दी है।

आयोग द्वारा जारी latest update के अनुसार, वोटर आईडी कार्ड का न होना आपको मतदान करने से नहीं रोक सकता। यदि आपका नाम आधिकारिक मतदाता सूची में दर्ज है, तो आप बनिा कसिी परेशानी के पोलगि बूथ पर जाकर अपना कीमती वोट डाल सकते हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है।

मतदान के लिए सबसे पहली शर्त: वोटर लसिट में नाम होना क्यों ह

चुनाव में वोट डालने के लिए सबसे बुनियादी और अनिवार्य शर्त यह है कि आपका नाम संबंधित क्षेत्र की वोटर लिस्ट (Electoral Roll) में शामिल होना चाहिए। यदि आपके पास मूल वोटर आईडी कार्ड मौजूद है, लेकिन आपका नाम उस सूची से गायब है, तो आप वोट नहीं दे पाएंगे।

वोटर लिस्ट का महत्व और आपका अधिकार

निर्वाचन आयोग स्पष्ट करता है कि मतदाता सूची ही किसी भी नागरिक के मतदान करने की पात्रता का अंतिम प्रमाण होती है। इसलिए, मतदान केंद्र पर जाने से पहले उम्मीदवारों और आम जनता को अपना status check जरूर कर लेना चाहिए कि उनका नाम सूची में एक्टिव है या नहीं।

वोटर आईडी नहीं है तो पास रखें ये 11 वैकल्पिक डॉक्यूमेंट्स (A)

यदि पोलिंग डे पर आपके पास पहचान पत्र नहीं है, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग ने पहचान स्थापित करने के लिए 11 वैकल्पिक सरकारी दस्तावेजों (Alternative Documents) की एक आधिकारिक सूची को मंजूरी दी है, जिन्हें दिखाकर आप आसानी से मतदान कर सकते हैं।

इन 11 दस्तावेजों की मदद से कर सकते हैं मतदान:

- >> आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- >> पैन कार्ड (PAN Card)
- >> ड्राइविंग लाइसेंस (DL)
- >> मनरेगा जॉब कार्ड
- >> बैंक या डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक
- >> श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- >> पेंशन दस्तावेज (फोटो के साथ)
- >> सांसदों, विधायकों या विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
- >> केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र
- >> एनपीआर (NPR) के तहत आरजीआई (RGI) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड

>> दवियांगता वशिषिट पहचान पत्र (UDID)

आधार, पैन और ड्राइवगि लाइसेंस: जानिए कौन-कौन से सरकारी पहचा

आयोग द्वारा स्वीकृत इन 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइवगि लाइसेंस सबसे आम और आसानी से उपलब्ध होने वाले पहचान पत्र हैं। पोलगि बूथ पर तैनात अधिकारी इनमें से कसिी भी एक दस्तावेज की मदद से आपकी पहचान का सत्यापन (Verification) कर सकते हैं।

दस्तावेजों से जुडी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी

इन पहचान पत्रों का उपयोग केवल आपकी नागरकि पहचान और मतदाता प्रमाणीकरण के लिए कया जाता है। कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो बॉम्बे हाईकोर्ट और सरकारी नयिमों के अनुसार, ये सभी पहचान पत्र केवल नवास और पहचान के माध्यम हैं। इस वषिय पर वस्तृत कानूनी समझ के लिए आपआधार, पैन और वोटर आईडी नागरकिता का सबूत नहीं? हाईकोर्ट का बड़ा फैसलापढ़ सकते हैं।

वोटर कार्ड में नाम या पते की गलती है? तो भी नहीं रुकेगा आपका

कई बार प्रटिगि मसिटेक या तकनीकी खामयिों के कारण वोटर आईडी कार्ड में नाम की स्पेलगि, पति का नाम या फरि घर का पता गलत छप जाता है। ऐसे मामलों में मतदाताओं को लगता है क उन्हेँ मतदान केंद्र से वापस लौटा दया जाएगा, लेकनि चुनाव आयोग के नयिम इसके बलिकुल वपिरीत है।

पहचान स्पष्ट होना है मुख्य उद्देश्य

यद आपके कार्ड में कोई छोटी-मोटी लपिकीय त्रुटि (Clerical Error) है, लेकनि आपकी पहचान पूरी तरह स्थापति हो रही है और पोलगि ऑफसिर आपकी शक्ल व वविरण से संतुष्ट है, तो आपका मतदान नहीं रोका जाएगा। आपको बस मतदाता सूची के अनुसार अपनी सही जानकारी और एक अन्य वैध पहचान पत्र साथ रखना होगा।

ऑनलाइन कैसे चेक करें वोटर लसिट में अपना नाम? बेहद आसान है त

वोटगि के दनि कसिी भी प्रकार की असुवधि से बचने के लिए चुनाव आयोग की आधिकारकि वेबसाइट (Voters Service Portal) पर

जाकर अपना नाम पहले ही चेक कर लें। apply online करने वाले नए मतदाताओं के लिए भी यह प्रक्रिया बहुत उपयोगी है।

मतदाता सूची में नाम खोजने का आसान तरीका:

- >> सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) या Voter Service Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- >> होमपेज पर दिए गए Search in Electoral Roll विकल्प पर क्लिक करें।
- >> अब आप अपने राज्य, जिला और व्यक्तिगत विवरण (जैसे नाम, जन्मतिथि) दर्ज करके खोज सकते हैं।
- >> इसके अलावा, यदि आपके पास EPIC नंबर है, तो आप सीधे उसे डालकर अपना status देख सकते हैं।
- >> यदि आपका नाम सूची में उपलब्ध है, तो आप उस पेज का PDF या प्रिंटआउट संभाल कर रख लें।

डिजिटल वोटर आईडी (e-EPIC) डाउनलोड करने का स्टेप-बाय-स्टेप प

यदि आपके पास फजिकल वोटर आईडी कार्ड नहीं पहुंचा है, तो आप चुनाव आयोग द्वारा प्रमाणित डिजिटल वोटर आईडी यानी e-EPIC अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। यह पूरी तरह से वैध और डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज़ है।

e-EPIC डाउनलोड करने की चरणबद्ध विधि:

- >> आधिकारिक वोटर पोर्टल पर जाएं और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
- >> यदि अकाउंट नहीं है, तो Sign-Up विकल्प चुनकर नया अकाउंट बनाएं।
- >> सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद Download e-EPIC के विकल्प पर क्लिक करें।
- >> अपना वोटर आईडी नंबर (EPIC Number) या फॉर्म रेफरेंस नंबर दर्ज करें।
- >> आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, उसे दर्ज कर सत्यापित करें।
- >> सत्यापन पूरा होते ही आपकी डिजिटल वोटर आईडी कार्ड की PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसे आप मतदान के लिए उपयोग कर सकते हैं।

ध्यान दें कि बदलते तकनीकी परिवेश में नियमों पर पैनी नजर रखना आवश्यक है, जैसे संचार नियमों में होने वाले आगामी बदलावों की जानकारी के लिए आप 1 मार्च से लागू होंगे नए नियम! बंद हो सकता है आपका WhatsApp पर भी नजर डाल सकते हैं।

नषिकरूष

संकूषेप में कहरा जाए तो भारत का नरुवाचन आयोग यह सुनशुचरत करने के लररि परतबिदूध है ककरिकुई भी वैध मतदरतरा अपने लुकतरंतुरकुरि अधकरर से वंचरत न रहे। बहरर चुनाव 2026 के इस दुरे में यदरआपके पसर वुटर आईडी कुरुड नहीं भी है, तो भी आप ऊपर बतराए गए 11 वैकलूकुरि सरकररी दसूतरवेजू में से कसुरी भी एक कु साथ लेकर पुलगुर बूथ पर जरएं और गरूव से अपना वुट डरलें। सजरग बनें, मतदरतरा सूकुरी में अपना नरम जरंचें और देश के नररुमरण में अपना युगदरन दें।

अकूसर पूछे जरने वरले परशून (FAQs)

हूँ, यदरआपकर नरम आधकररकुरि वुटर लसूट में दरूजर है, तो आप बनर वुटर आईडी कुरुड के भी चुनाव आयोग दूवरर तय कुररि गए 11 वैकलूकुरि दसूतरवेजू कुरी मदद से वुट डरल सकते हैं।

मतदरन करने के लररि सबसे अनवरररुय शरूत यह है ककरआपकर नरम आपके नररुवाचन कूषेतर कुरी कुरुल वुटर लसूट (Electoral Roll) में दरूजर हुनर कुरुहरर।

आप आधर कुरुड, पैन कुरुड, इररइवगुर लरइसेंस, बैक पसरबुक (फुटुयुकूत) यर मनरेगुर जूंब कुरुड जैसे सरकर दूवरर मरनुयतर प्रररुत 11 पहकरन पतरुं कुरु उपयुग कर सकते हैं।

बलरकुरुल नहीं। यदरआपकर नरम मतदरतरा सूकुरी में शरमलर नहीं है, तो आप भररत के कसुरी भी सरकररी दसूतरवेज कु दरखरकर वुट नहीं डरल सकते। सूकुरी में नरम हुनर अनवरररुय है।

अगर कुरुड में कुई कूुटी सुपेलगुर मसूटेक है, लेकनर आपकुरी पहकरन वुटर लसूट के डेटर से मेल खरती है, तो पुलगुर अधकरररर आपकु वुट डरलने कुरी अनुमतरदें देंगे। सुरकूषर के लररि एक अनुय आईडी साथ ररखें।

आप चुनाव आयोग के आधकररकुरि पुरुटल (voters.eci.gov.in) पर जरकर Search in Electoral Roll वकुरलूकुर कुरु उपयुग कर अपना नरम ऑनलरइन आसरनी से कुरक कर सकते हैं।

e-EPIC वुटर आईडी कुरु एक सुरकूषरत और डजरटल पीडीएफ (PDF) संसूकरण है। चुनाव आयोग के नररुमों के मुतरबकुर मतदरन केंदूर पर यह पूरर तरह से मरनुय और सुवीकररुय है।

हूँ, आप अपने मुुडरइल फुन में डरउनलुड कुरी गई डजरटल हसूतरकूषरत e-EPIC फरइल कु दरखर सकते हैं, बशरूते पुलगुर बूथ के नररुमों के तहत मुुडरइल ले जरने कुरी अनुमतरररर जरंच कुरु प्रररवधरन उपलबूध हु। इसकर प्ररुटरररउट ररखनर सबसे सुरकूषरत मरधूयम है।

वरूतमरन में चुनाव आयोग दूवरर नररुधररत 11 वैकलूकुरि दसूतरवेजू कुरी मुखूय सूकुरी में सरधररण ररशन कुरुड शरमलर नहीं है। आपकु आधर, पैन यर अनुय सुवीकूृत 11 डरकूयूमेंटूस कुरु ही उपयुग करनर कुरुहरर।

नए मतदरतरा चुनाव आयोग कुरी वेबसरइट पर जरकर apply online वकुरलूकुर के तहत फूँरुम-6 (Form-6) भरकर मतदरतरा सूकुरी में अपना नरम शरमलर करने के लररि आवेदन कर सकते हैं।

MSNTARGET.COM

<https://msntarget.com>

नहीं, नजिी कॉर्पोरेट कंप्नरिीं या प्राइवेट संस्थानों द्वारा जारी एम्प्लोयी आईडी कार्ड वोटगि के लिए मान्य पहचान पत्र के रूप में स्वीकार नहीं कएि जाते हैं। केवल सरकारी या सार्वजनकि उपकरमों के कार्ड ही मान्य हैं।

अगर डजिटिल रकिॉर्ड या वेबसाइट पर आपका नाम दर्ज है, तो आप अपने साथ अपना भाग संख्या (Part Number) और सीरयिल नंबर नोट कर लें, और पोलगि बूथ पर जाकर कसिी भी वैकल्पकि आईडी कार्ड को दखिाकर सीधे अपना वोट डाल सकते हैं।